



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिस्ट्रल कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
दुर्लभ; जित; के। लिंकज< जित-
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsg@gmail.com, agricsf@gmail.com

क्रमांक: – सर./कृषि/20/14-15-1058

दिनांक: – 3 मार्च 2015

fufonk l puk

केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ, जिला-श्रीगंगानगर (राजस्थान) में वर्ष 2015-16 (दिनांक 01-04-2015 से 31-03-2016) की कृषि फसलों में एवं फार्म स्थित फलों के बगीचे में विभिन्न कृषि कार्यों को ठेके पर कराने के लिए चकवार निविदाएँ दिनांक 23.03.2015 व 30.03.2015 को अपराह्न 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं, जो कि उसी दिन 3.30 बजे फार्म अधिकारियों की कमेटी द्वारा उपस्थित निविदादाताओं/ठेकेदारों के समक्ष खोली जायेगी, निविदा में भाग लेने के लिए इच्छुक ठेकेदारों/पार्टियों को रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) प्रति चक का बैंक ड्राफ्ट जो कि, “राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सरदारगढ” के नाम से सुरतगढ में देय हो जमा करवानी होगी। यदि निविदा वेबसाइट से डाउनलोड करके भेजी जाती है तो निविदा के साथ धरोहर राशि के अतिरिक्त निविदा शुल्क रु200/- का ड्राफ्ट देना होगा। असफल बोली दाता को धरोहर राशि चैक द्वारा वापिस कर दी जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा सफल बोली/निविदादाता की धरोहर राशि कार्य संतोषजनक पूरा होने पर लौटायी जायेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। उपरोक्त कार्य की दरें भरने के लिए निविदा फार्म अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय से रुपये 200/- (कर सहित) जमा करवाकर प्राप्त की जा सकती है एवं किसी भी कार्य दिवस में नियम/शर्तों की जानकारी प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक फार्म के कृषि अनुभाग से ली जा सकती है तथा इसकी विस्तृत जानकारी के लिये वेबसाइट www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती है। बोलीदाता/निविदादाता को नीलामी के समय अपने पेन कार्ड/ टिन न. की फोटोप्रति व वर्तमान आवासीय पते हेतु राशनकार्ड अथवा अन्य सबूत की फोटोप्रति टेण्डर के साथ संलग्न करनी होगी व खुली बोली में भाग लेने हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे।

ukV% & vijkgu 3-00 ct. d ckn dkb. V.Mj Qke. ugh fn;k tk;xk o 3-30 ct. d ckn dkb. Hkh V.Mj Qke. Lohdkj ugh fd;k tk;xkA cd [kkrk l; k o IFSC dkm Hkh iLrr djuk gkxkA

çc/kd %mRiknu%
Ñr vfr-egkçc/kd %Qke%



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिस्ट्रल कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
दुर्लभ; जित; केली जितित < जितित
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsg@gmail.com, agricsf@gmail.com

क्रमांक.....

क्रमांक :- सर./कृषि/20/15-16/

दिनांक: -

V.Mj Qke o"k 2015&16 d df"k dk;| gr

क्रमांक	कार्य	नियम 1/4 : 1/2
1.	खालों का डिसिल्टिंग करना व घास निकालना व पटरी की सफाई करना दर प्रति मीटर	
2.	प्लेवा व प्रथम पानी लगाना दर प्रति एकड़ (अ) मोगे द्वारा (ब) स्कूपम्प द्वारा (स) टयूबवैल द्वारा (टयूबवैल स्वयं चलाना होगा)	
3.	दूसरा व अन्य पानी लगाना (अ) मोगे द्वारा (ब) स्कूपम्प द्वारा (स) टयूबवैल द्वारा (टयूबवैल स्वयं चलाना होगा)	
4.	मुरब्बे में नयी बट बनाना दर प्रति 250 मीटर	
5.	बॉर्डर हैरो द्वारा बनी बट को कसना दर प्रति 250 मीटर	
6.	यूरिया व डी.ए.पी. खाद का बुरकाव करना दर प्रति एकड़	
7.	फसलों में कीटनाशक दवाओं का स्प्रे करना कम से कम 15 ढोलकी प्रति एकड़ (दर प्रति एकड़)	
8.	फसलों की कीटनाशक दवा का डस्टिंग हाथ द्वारा दर प्रति एकड़	
9.	फसलों में कीटनाशक दवा का डस्टिंग करना फॉर्म मशीन द्वारा (दर प्रति एकड़)	
10.	खरीफ व रबी फसलों में रोगिंग करना दर प्रति एकड़ (अ) सिंचित (ब) असिंचित	(सिंचित फसल)(असिंचित फसल)
11.	चने की फसल कटाई इक्ठ्ठा करना, कम्बाइन में झुकाई करना, खलिहान साफ करना दर प्रति एकड़ (अ) अधिक पैदावार (ब) मध्यम पैदावार (स) कम पैदावार (द) सबसे कम पैदावार	 + नीरा + नीरा + नीरा + नीरा
12.	बिजाई हेतु बीज उपचारित करना दर प्रति किंवटल	
13.	बीज खाद फार्म वाहन में लादना व उतारना दर प्रति किंवटल (अ) लादना (ब) उतारना	
14.	धान की नर्सरी बुवाई हेतु बट बनाना, समतल करना, पानी पर पाटा चलाना तथा धान का बीज नर्सरी लिये छिड़काव करना दर प्रति एकड़	
15.	जिप्सम खाद का बुरकाव करना दर प्रति एकड़	

लगातार पेज 2/-

: : 2 : :

16. धान की नर्सरी उखाड़ना व धान लगाना कम से कम 30-35 पौधे प्रति वर्ग मीटर (दर प्रति एकड़)
(अ) साधन सहित
(ब) साधन रहित
17. धान की फसल एवं नर्सरी से घास निकालना दर प्रति एकड़
(अ) ज्यादा घास निकालना
(ब) मध्यम घास निकालना
(स) कम घास निकालना
18. उर्द, मूँग, मोठ, ग्वार, ज्वार, भिण्डी व अन्य खरीफ फसलों में कसोलों द्वारा गुड़ाई करना दर प्रति एकड़
19. खरीफ फसल, उर्द, ग्वार, ज्वार, भिण्डी, मोठ, मूँग आदि की कटाई करना व इक्ठा करना/कम्बाइन से झुकाई करना दर प्रति एकड़
(अ) अधिक पैदावार+ नीरा
(ब) मध्यम पैदावार+ नीरा
(स) कम पैदावार+ नीरा
20. धान को विन्नोइंग सेण्टर पर सुखाना दर प्रति किंवटल
21. उर्द, मूँग व अन्य खरीफ फसलों के उत्पादन की सफाई करना दर प्रति किंवटल
22. उर्द, मूँग व अन्य खरीफ फसलों की फसलों की ऊँट के हल से गुड़ाई करना दर प्रति एकड़
23. नहर सफाई करना घास निकालना एक पटरी सहित दर प्रति मीटर
24. नहर सफाई करना मिट्टी निकालना दर प्रति मीटर
25. धान, मूँग, उर्द व अन्य खरीफ फसलों फसलों की रागिंग करना दर प्रति एकड़
26. चने व पालक आदि की फसलों में ऊँट के हल से गुड़ाई करवाना दर प्रति एकड़
27. चने व पालक आदि की फसल में कसोलो द्वारा निराई, गुड़ाई करवाना दर प्रति एकड़
(अ) अधिक खरपतवार
(ब) मध्यम खरपतवार
(स) कम खरपतवार
28. चने व पालक की फसलों में फॉर्म ट्रेक्टर माउंटिड पान टाईप कल्टीवेटर द्वारा गुड़ाई करवाना दर प्रति एकड़
29. रबी व खरीफ फसलों में दवाई का छिड़काव ट्रेक्टर द्वारा करवाना दर प्रति एकड़
30. खरीफ व रबी में दवाई का पाइप व गन से ट्रेक्टर द्वारा करवाना दर प्रति एकड़
31. जिंक व यूरिया तथा खरपतवार नाशक दवाई का छिड़काव ट्रेक्टर द्वारा करवाना दर प्रति एकड़
32. डसटिंग कार्य ट्रेक्टर द्वारा करवाना दर प्रति एकड़
33. गनी बैग का हाथ द्वारा सफाई करवाना दर प्रति बैग
34. गनी बैग की छटाई करवाना दर प्रति बैग
35. नाली क्षेत्र में नई बट बनाना व कराना प्रति 250 मीटर
36. रेत मिट्टी से बोरी भरना व लगाना दर प्रति बैग
37. पेड़ों की गर्थ नापना कटाई व नम्बर लगाना दर प्रति पेड़
38. बिजली द्वारा ट्यूबवैल को चलाना प्रति सिपट (आवश्यकता पड़ने पर)
39. इंजन पम्प ऑपरेटर ड्यूटी प्रति सिपट (आवश्यकता पड़ने पर)
40. रबी, खरीफ व जायद फसलों की बिजाई प्रति एकड़

लगातार पेज

3/-

m|ku ,oe u l|jh dk;kl dh nji o"kl 2014&15

Ø- l-	dk; fooj.k	NkV. iM 1&3 o"kl vk; ub nj ¼ : i ; ½		cM. iM 3 o"kl l vf/kd vk; ub nj ¼ : i ; ½	
1.	नया बाग लगाना व खाली स्थान पर पेड़ लगाना :- गद्दों का साईज 3X3X3 फुट वृत्ताकार का खोदना खाद डालना मिलाना व गड़ढा भरना।				
2.	नर्सरी से पौधे को लाकर पेड़ लगाना व पानी डालना (एक बार)।				
3	बाग की गुड़ाई का कार्य :- पेड़ों के नीचे बिना जुती जमीन को फावड़े से गुड़ाई करना व तने पर 1-2 फीट तक मिट्टी चढ़ाना पेड़ के नीचे की ऊँची मिट्टी को पेड़ के पास खाली स्थान के गड़ढे में फेंकना				
4	बाग में खाद उर्वरक कार्य :- खाद उर्वरक डालना, गुड़ाई द्वारा फावड़े से मिलाना।				
5	दवाई छिड़काव बाग में फार्म ट्रैक्टर द्वारा स्प्रेयर से पेड़ों पर दवाई का छिड़काव प्रति एकड़		—		
6	बाग में कटाई व छंटाई का कार्य :- फलदार पेड़ों की सूखी टहनियों की कटाई, छंटाई करना, कटी लकड़ी को पेड़ों के नीचे से उठाकर खेत से बाहर जलाना।	किन्नू माल्टा अमरुद बैर नीबू			
7	बोर्डों पेंटिंग कार्य :- बोर्डों पेंट तैयार करना, कटाई व छंटाई की गई शाखाओं के कटे भाग पर पेंट से पुताई तथा तने पर 1-2 फीट की उंचाई तक पेंटिंग करना पेड़ की शाखा में काले गोंद वाले स्थानों की पुताई करना।				
8	जंगली पौधों का वृक्षा रोपण का कार्य:- 1X1X1 फुट साईज का गड़ढा खोदना, नर्सरी से पौधे को पिण्डी सहित उखाड़ना व लगाने हेतु ले जाकर लगाना तथा एक बार पानी डालना।				
9	पापुलर पौधों की छंटाई करना :-				
10	पार्क मेण्टेनेन्स/अन्य कार्य :- फुलवारी की नर्सरी उगाना, पौध लगाना क्यारी बनाना, पानी लगाना, लोन में घास लगाना व हौज की कटाई सफाई, पौधों की पुताई कार्य अन्य कार्य हो जो भी पार्क में हों/पी.आर.डब्लू.				 प्रतिदिन
11	बाग में सुधार कार्य :- सूखे बीमार अवांछित पौधों की 2 फीट गहराई तक जड़ से उखाड़ना व फार्म ट्रॉली में लोड करके स्टोर पर उतारना।				
12	बाग में फलदार पौधों की डिसबडिंग करना				

- 13 मूल वृंत (Root Stock) तैयार करना:-
- (i) जट्टी खट्टी के फल तोड़कर बीज निकालना, क्यारी बनाकर बीज बोना।प्रति किलो
- (ii) पोलीथीन की थैली (बालू+खाद +मिट्टी) मिश्रण से भरना, क्यारी बनाकर लाईन में लगाना व बीज बोना व पानी लगाना।प्रति प्लास्टिक थैली
- (iii) पोलीथीन की थैलियों में निराई व गुड़ाई करना।प्रति बैड जो भी कम होगा
- (iv) पिण्डी सहित पौधे निकालकर घास में बांधकर पैकिंग करके देना।प्रति पौधा
- (v) छोटे बीजू पौधों को क्यारी में या पौलीथीन में शिप्ट करना और पानी लगाना।प्रति पौधा
- (vi) नयी क्यारी 10x1 मी. आकार की बनाकर तैयार करना।प्रति बैड
- (vii) नर्सरी की क्यारी को खुरपी से निराई, गुड़ाई करना (10x1 मी. क्यारी)प्रति बैड
- (viii) बडिंग/ग्राफ्टिंग से तैयार पौधों को क्यारी बनाकर शिप्ट करना व पानी लगाना।प्रति पौधा
- (ix) फार्म ट्रैक्टर ट्राली से बालू रेत लोड कर तथा नर्सरी में लाकर उतारना।प्रति ट्राली (फार्म ट्रैक्टर) (लोडिंग/अनलोडिंग)प्रति ट्राली (प्राइवेट ट्रैक्टर) (लोडिंग/अनलोडिंग)
- (x) फार्म के ट्रैक्टर ट्राली में गोबर की खाद कीमत सहित लोड करके लाना व बाग में डालना।प्रति ट्राली प्रति ट्राली लादने पर
- (xi) ट्रक में पौधों को चढ़ाना व उतारना।प्रति पौधा
- 14 पोलीथीन की थैलियों को क्यारी बनाकर क्यारी से क्यारी में लाईन में सेटिंग करना (दर प्रति थैली)प्रति पौधा
- 15 ग्वार पाठे के सकर्स पौधों को निकालकर देना या क्यारी में लगाना (दर प्रति थैली)प्रति पौधा

हस्ताक्षर

ठेकेदार का नाम

पिता का नाम

दिनांक: -

पता

जिला

मो. नं.

पान न0.....

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

dUnh; jkT; Qke] l jnkjx<

क्रमांक: — सर./कृषि/20/15-16—

दिनांक: —

कृषि कार्यों के लिए नियम व शर्तें वर्ष 2015-16

1. फार्म द्वारा विभिन्न कृषि कार्यों के लिए निर्धारित दरों पर कार्य करने के इच्छुक ठेकेदार को चक का पूरा कार्य एक वर्ष के लिए ठेका लेने हेतु चकवार रुपये 10000/- (रुपये दस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो कि, "राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सरदारगढ" के नाम से सुरतगढ में देय हो जो कि फार्म खजांची के पास अथवा टेण्डर के साथ जमा करवानी होगी। और सभी कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में समय से श्रमिकों की व्यवस्था करनी होगी जो कि चक प्रभारी से एक दिन पहले मालूम करना होगा।
2. सफल बोलीदाता को ठेके के सम्बन्ध में एक समझौते (एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर करने होंगे, इसके लिए पार्टी को रुपये 100/- (रुपये सौ मात्र) नान् ज्यूडिसियल स्टाम्प फार्म को उपलब्ध करवाना होगा।
3. कोई भी ठेकेदार या ठेकेदार का लेबर फार्म एरिया में पशु नहीं रखेंगे यदि कोई ठेकेदार पशु रखते हुए पाया गया तो ठेकेदार का ठेका रद्द किया जा सकता है।
4. यदि कोई ठेकेदार ठेका लेने के बाद कार्य करने के लिए पर्याप्त श्रमिकों का प्रबन्ध समय से नहीं कर पाता है तो चक प्रभारी/खण्ड प्रभारी अपने स्तर पर प्रबन्ध करेंगे यदि इस कार्य में निर्धारित दर से अधिक देना पड़ा तो ठेकेदार के बिलों से काटा जायेगा।
5. कृषि कार्यों को करने के लिए कस्सी, दंराती तथा कसौला आदि ठेकेदार/ ठेकेदार के मजदूर स्वयं लेकर आयेगें।
6. फसल की रोपाई, गुड़ाई तथा कटाई आदि की जांच का कार्य निदेशक द्वारा गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा। यदि कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया तो ठेकेदार को उस कार्य को दोबारा निःशुल्क करना होगा। दोबारा कराये गये कार्य का बिल नहीं बनाया जायेगा तथा असंतोषजनक कार्य की वजह से फसल की पैदावार पर प्रतिकूल असर पड़ा तो निदेशक महोदय द्वारा गठित कमेटी के आंकलन के हिसाब से ठेकेदार के अन्य कार्य के बिलों से उस नुकसान की भरपाई कर ली जावेगी।
7. ठेकेदार की लापरवाही अथवा मजदूरों की उचित व्यवस्था न होने के कारण यदि फार्म को किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई ठेकेदार के बिल से की जावेगी।
8. ठेकेदार द्वारा प्रत्येक चक का बिल अलग-अलग देना होगा।
9. ठेकेदार द्वारा प्रत्येक कार्यों का बिल हफ्तेवार प्रस्तुत करना होगा।

10. ठेकेदार को मजदूरों को लाने ले जाने अथवा रहने आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। यदि किसी परिस्थिति वश मजदूरों को लाने ले जाने की व्यवस्था फार्म को करनी पड़ी तो वह पूरा खर्चा फार्म की निर्धारित दरों पर ठेकेदार द्वारा देय होगा।
11. फसल में पानी लगाते समय खालों की देख रेख एवं पानी लगाने तक का कार्य मन्जूर दरों पर करना होगा। यदि फसल में अधिक पानी लगा दिया गया तो फसल में से अधिक पानी को ठेकेदार द्वारा निःशुल्क निकालना होगा।
12. यदि फार्म सुपरवाइजर/अधिकारी तथा ठेकेदार के बीच किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो इसका निपटारा निदेशक महोदय या उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि द्वारा किया जायेगा, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।
13. यदि ठेकेदार व उसके मजदूरों के बीच किसी तरह का विवाद न्यायालय में जाता है तो ठेकेदार फार्म का बचाव अपने खर्चे पर करेगा। यदि फार्म को न्यायालय में अपना बचाव स्वयं करना पड़ा तो, जो भी खर्चा फार्म को होगा वह ठेकेदार से भरपाई किया जायेगा।
14. फार्म में कार्य के दौरान ठेकेदार या उसके आदमियों के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना या किसी प्रकार की शारीरिक क्षति होने की स्थिति में फार्म किसी भी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगा।

i.cU/kd %mRi kknu%
Ñr: çHkkjh fun'kd